

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :- 203/2024

कमलेश कुमार मीणा

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. जिलाधीश (भू-अभिलेख), अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.05.2024

आदेश की दिनांक : 21.05.2024

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुशील सोलंकी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : चेतनराम देवड़ा, सदस्य

असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4-ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त अपीलों की ग्राह्यता पर सुनवाई की गई।
2. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किये गये आलोच्य आदेश दिनांक 01.06.2022 (अनुलग्नक-1), जिसके द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया है, को अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 4276/2018 मानवेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार में जारी आदेश दिनांक 21.12.2018 से आवृत्त (Covered) है। अपीलार्थी के वरिष्ठ पटवारी पद पर रहने के दौरान अपीलार्थी के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-2018 की धारा 7 के तहत दर्ज हुई, जिसमें अनुसंधान उपरान्त दिनांक 13.07.2022 को न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया। उक्त प्रकरण के कारण प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 01.06.2022 द्वारा अपीलार्थी का निलम्बन किया गया। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.03.2023 के बिन्दू संख्या 'A' में यह अंकित है कि :-

“A”-भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों में निलम्बन एवं निलम्बन से बहाली

1. किसी लोक सेवक को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है अथवा भ्रष्टाचार से सम्बंधित अन्य मामले में 48 घण्टों से अधिक समय तक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है तो सम्बंधित लोकसेवक को तत्काल निलम्बित किया जावे।

लोक सेवकों के ऐसे प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी होने तथा सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में उनके प्रकरण निलम्बन से बहाली हेतु गठित पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाएँगे।

2. भ्रष्टाचार से सम्बंधित अन्य प्रकरणों (रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी से भिन्न) में, आय से अधिक सम्पत्ति अथवा धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रकरणों में यदि सम्बंधित लोक सेवक को पूर्व में निलम्बित नहीं किया गया है तो प्रकरण में लोकसेवक के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी होने पर प्रकरण के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति एवं गम्भीरता, राज्य सरकार की लोकसेवक के अनुरूप आचरण की अपेक्षा, पद की गरिमा, अभियोजन / अनुसंधान एवं साक्ष्यों को प्रभावित करने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर लोकसेवक के निलम्बन के सम्बन्ध में समुचित निर्णय लिया जावे।

यदि प्रकरण में लोकसेवक को निलम्बित किया गया है तो लोकसेवक के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में लोकसेवक के प्रकरण को निलम्बन से बहाली हेतु पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावे।”

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का आगे कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 4276 / 2018 मानवेन्द्र सिंह बनाम राज्य सरकार में निम्न आदेश पारित किए गए हैं:-

“18. However, keeping in view the observations made hereinabove, the respondents are directed to post the petitioner at a place where he would not be having any public dealings and would not be in a position to affect in any manner the witness in the criminal case. If so required, the petitioner may be posted in any other district than Sawai Madhopur under the same range.

19. With the said observations the writ petition is allowed to the aforesaid extent. The question regarding intervening period of suspension shall be decided only after the decision of the criminal case. However, the petitioner would be entitled for pay fixation upon his reinstatement.”

अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी विगत एक वर्ष ग्यारह माह से निलम्बित है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्याय निर्णय एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.03.2023 के आलोक में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.06.2022 (अनुलग्नक-1) को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को सेवा में बहाल किया जाकर सेवा संबंधित समस्त परिलाभ प्रदत्त किए जावे।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी की तरफ से यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी की तरफ से किए गए अनुरोध के दृष्टिगत न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दें। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
6. अतः उक्त अपील, मय लम्बित प्रार्थना पत्रों के उपर्युक्त निर्देश के साथ इसी प्रक्रम पर अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

sd/-

(असलम मेहर)
सदस्य

sd/-

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य